

हरियाणा सरकार

गृह विभाग

अधिसूचना

दिनांक 31 अगस्त, 2009

संख्या का०प्रा० 83/के०अ० 29/2005/धा० 25/2009.—प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम 29), की धारा 25 की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण को अनुज्ञप्ति देने तथा नवीकरण को विनियमित करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. ये नियम हरियाणा प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण नियम, 2009, कहे जा सकते हैं।

संक्षिप्त नाम।

2. (1) इन नियमों में, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

परिभाषाएं।

(क) “अधिनियम” से अभिप्राय है, प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम 29);

(ख) “अभिकरण” से अभिप्राय है, प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण;

(घ) “प्ररूप” से अभिप्राय है, इन नियमों से संलग्न प्ररूप;

(ग) “मान्यता प्राप्त संस्थान” से अभिप्राय है, कोई पुलिस या पैरामिलिट्री प्रशिक्षण संस्थान या नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा यथा अनुमोदित ऐसा अन्य प्रशिक्षण संस्थान।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो क्रमशः अधिनियम में उन द्वारा दिया गया है।

3. (1) अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, कानून तथा व्यवस्था, हरियाणा पुलिस, नियंत्रण प्राधिकारी के रूप में पदाभिहित होगा।

नियंत्रण प्राधिकारी।
धारा 3.

(2) नियंत्रण प्राधिकारी एक वेबसाइट बनाने के लिए जिम्मेदार भी होगा जहां साधारण जनता के लिए सभी सम्बन्धित सूचना, अर्थात् अधिनियम, नियम, कार्य-प्राणाली, प्ररूप, परिपत्र, नोटिस हिन्दी के साथ-साथ अंग्रेजी में निरीक्षण की आवश्यकता को पूरा करने के अनुक्रम में उपलब्ध होगी।

(3) प्रत्येक अभिकरण अपने एक प्राधिकृत प्रतिनिधि पदाभिहित करेगा तथा इसकी सूचना नियंत्रण प्राधिकारी को देगा। अभिकरणों के साथ पत्राचार जहां तक सम्भव हो उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से इलेक्ट्रानिक साधनों द्वारा किया जाएगा। संबंधित दस्तावेजों, प्ररूपों, फीस इत्यादि सहित आवेदन-पत्र, सत्यापन अनुरोध भी हस्ताक्षर करके ऑन लाइन प्रस्तुत किए जाएंगे।

आवेदकों के पूर्ववृत्त का सत्यापन।
धारा 10.

4. (1) धारा 7 या 8 के अधीन अनुज्ञप्ति देने या नवीकरण के लिए आवेदन, आवेदक द्वारा अपने पूर्ववृत्त के सत्यापन के लिए प्ररूप I में सूचना सहित नियंत्रण प्राधिकारी को प्ररूप V में किया जायेगा। यदि आवेदक एक कम्पनी, फर्म या व्यक्तियों का संघ है तो ऐसे आवेदक के लिए आवेदन प्ररूप I में होगा।

(2) ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर नियंत्रण प्राधिकारी आवेदन के तथ्यों तथा आवेदकों के ब्योरो के सत्यापन के लिए ऐसी जांच करेगा या करवाएगा जैसा वह आवश्यक समझे।

(3) जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त, जैसी भी स्थिति हो, प्रत्येक व्यक्ति जिसके नाम से पूर्ववृत्त प्ररूप भरा गया है के पूर्ववृत्त के सत्यापन के अतिरिक्त निम्नलिखित सूचना भी भेजेगा :—

(i) क्या आवेदक या कम्पनी द्वारा चालित पहले से कोई प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण, व्यक्तिगत रूप से या दूसरों के साथ हिस्सेदारी में चला रहे हैं तथा यदि ऐसा है, तो उसका विवरण; और

(ii) क्या आवेदक के पास कोई विशेष योग्यता या निपुणता है, जो उसको प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण को चलाने में सुकर हो सके।

प्राईवेट सुरक्षा-
रक्षकों और
पर्यवेक्षकों के चरित्र
तथा पूर्ववृत्त का
सत्यापन।

5. (1) किसी भी व्यक्ति को सुरक्षा रक्षक के रूप में तब तक नियोजित या लगाया नहीं जाएगा जब तक अभिकरण अपने आपको ऐसे व्यक्ति के चरित्र तथा पूर्ववृत्त के बारे में निम्नलिखित रीतिथों में से किसी एक या अधिक से सन्तुष्ट नहीं करेगा, अर्थात् :—

(क) स्वयं द्वारा व्यक्ति के चरित्र तथा पूर्ववृत्त के सत्यापन द्वारा;

(ख) व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत चरित्र तथा पूर्ववृत्त सत्यापित प्रमाण-पत्र तथा विश्वास द्वारा ;

परन्तु चरित्र तथा पूर्ववृत्त प्रमाण-पत्र वैध है तथा अभिकरण के पास व्यक्ति के चरित्र तथा पूर्ववृत्त के बारे में किसी अन्य स्रोत से सम्बन्धित कोई प्रतिकूल रिपोर्ट तो नहीं है।

(ग) जिला पुलिस अधीक्षक के प्राधिकार के अधीन हस्ताक्षरित पुलिस से प्राप्त रिपोर्ट पर विश्वास द्वारा।

(2) सुरक्षा रक्षक या पर्यवेक्षक के रूप में नियोजन प्राप्त करने या लगने का इच्छुक व्यक्ति अभिकरण को प्ररूप-II में सूचना प्रस्तुत करेगा। यदि व्यक्ति पिछले पांच वर्षों से अधिक एक जिले में रह रहा है तो वह प्रत्येक जिले के लिए एक प्रति प्रस्तुत करेगा।

(3) अभिकरण इसमें भरे गए ब्योरो के सहीपन की या तो स्वयं जांच करेगा या प्ररूप-II सम्बन्धित जिला पुलिस अधीक्षक को भेजते हुए जांच करवाएगा।

- (ख) शारीरिक क्षमता;
- (ग) शारीरिक सुरक्षा, सम्पत्ति की सुरक्षा, मवन/आपार्टमेंट की सुरक्षा, कार्मिक सुरक्षा, घरेलू सुरक्षा;
- (घ) अग्नि शामक;
- (ङ) पहचान-पत्र, पासपोर्ट तथा स्मार्ट कार्ड सहित पहचान कागजातों की जांच;
- (च) सामान्यतया पहचान दस्तावेजों, शस्त्र अनुज्ञप्ति, यात्रा दस्तावेजों और सुरक्षा निरीक्षण के समय उम्मीदवार को अंग्रेजी अक्षरों तथा अरबी अंकों को पढ़ने और उन्हें समझने योग्य होना चाहिए;
- (छ) छुपी हुई विस्फोटक वस्तुओं की पहचान;
- (ज) प्राथमिक चिकित्सा;
- (झ) संकट से निपटना और आपदा प्रबंधन;
- (ञ) रक्षात्मक ड्राइविंग (सस्त्र गाड़ियों के ड्राइवरों के लिए अनिवार्य तथा दूसरों के लिए वैकल्पिक);
- (ट) अवर्जित आयुधों तथा आग्नेयास्त्र का उठाना-रखना और संचालन (वैकल्पिक);
- (ठ) प्राईवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में गथावर्णित पुलिस स्टेशन में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने की प्रक्रिया, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) का प्रारंभिक ज्ञान;
- (ड) जनता और पुलिस में प्रयोग किये जाने वाले विभिन्न शस्त्रों की पहचान;
- (ढ) सुरक्षा उपकरण और युक्तियों का उपयोग (जैसे कि सुरक्षा अलार्म और स्क्रीनिंग उपकरण); और
- (ण) नेतृत्व और प्रबन्धन (केवल सुपरवाइजरी स्टाफ के लिए)।

(2) सुरक्षा रक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए कक्षा में न्यूनतम सौ घन्टे तथा कम से कम बीस कार्य दिवस की अवधि में दिए जाने वाला, साठ घन्टे का फील्ड प्रशिक्षण होगा। भूतपूर्व सैनिकों और पूर्व पुलिस कार्मिकों को केवल संचनित पाठ्यक्रम न्यूनतम अलीस घन्टे कक्षा निर्देश और सोलह घन्टे का फील्ड प्रशिक्षण होगा जो सात कार्य दिवसों में होगा।

(3) अभिकरण द्वारा दी गई सुरक्षा सेवाओं के प्रबन्धन से सम्बद्ध प्रथम स्तर तथा द्वितीय स्तर पर्यवेक्षकों को भी मान्यताप्राप्त संस्था से कम से कम तीन महीने की अवधि जिसमें प्रत्येक दिन के लिए छह घन्टे के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। सेना, अर्ध सैनिक बलों अथवा पुलिस सेवा में अनुभव वाले व्यक्तियों के लिए केवल छह सप्ताह की अवधि का पाठ्यक्रम काफी होगा। सुरक्षा गार्डों के प्रशिक्षण के लिए, विषयों के अतिरिक्त उन्हें अपराधित कानून, पुलिस कार्य, नेतृत्व तथा प्रबन्धन निपुणता में भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

(4) अभिकरण द्वारा दी गई सुरक्षा सेवा के प्रबन्धन से सम्बन्धित प्रत्येक सुरक्षा गार्ड तथा पर्यवेक्षक को प्रशिक्षण सफलतापूर्वक करना होगा। प्रशिक्षण पूर्ण होने पर, प्रत्येक सफल प्रशिक्षु को मान्यताप्राप्त संस्था द्वारा प्ररूप-IV में एक प्रमाण-पत्र दिया जाएगा।

(5) असफल उम्मीदवारों को सुरक्षा ड्यूटी तब तक नहीं दी जाएगी जब तक वे प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण न कर लें।

(6) सभी अभिकरण नियन्त्रण प्राधिकारी को सफल प्रशिक्षुओं की सूची प्रस्तुत करेंगे।

(7) इन नियमों के अनुसार प्राईवेट सुरक्षा गार्डों तथा पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण देने के प्रयोजन के लिए सार्वजनिक तथा प्राईवेट दोनों संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने के लिए मानक तथा प्रक्रिया नियन्त्रण प्राधिकारी अधिकथित करेगा।

7. (1) कोई व्यक्ति जब तक वह सुरक्षा सेवाओं के प्रबन्धन से सम्बन्धित सुरक्षा गार्ड या पर्यवेक्षक के रूप में तब तक लगाया या नियोजित नहीं किया जाएगा जब तक वह शारीरिक योग्यता के निम्न मानकों को पूरा नहीं करता :—

शारीरिक
उपयुक्तता का
मानक।

(i) (क) ऊँचाई पुरुष 160 सें०मी०

महिला 150 सें०मी०

(ख) वजन ऊँचाई और वजन की मानक तालिका के अनुसार।

(ग) छाती 4 सेंटीमीटर फुलाव के साथ 80 सेंटीमीटर
(महिलाओं के लिए छाती मापने की कोई न्यूनतम अपेक्षा नहीं)

(ii) दृष्टि.—दूर दृष्टि 6/6, नजदीक दृष्टि 0.6/0.6 सुधार सहित या रहित; रंग अन्धता से रहित; रंगीन दृश्यों, सुरक्षा उपकरणों को पहचानने तथा भेद करने में योग्य और अंग्रेजी वर्णमाला तथा अरबी अंकों को पढ़ने तथा समझने में योग्य हो।

(iii) घुटने आपस में न मिलें तथा पैरों की तली समतल न हो और छह मिनट में एक किलोमीटर भागने के योग्य हो।

(पैंतालीस वर्ष से ऊपर की आयु के व्यक्ति के लिए एक मिनट की छूट होगी)

(iv) श्रवण: दोष से मुक्त हो और सुनने और बोलने की आवाज का उत्तर देने तथा सुरक्षा उपकरणों द्वारा उत्पन्न अलार्म पर प्रतिक्रिया करने योग्य हो।

(v) उम्मीदवार तलाशी लेने, वस्तुओं को हाथ में लेने तथा आवश्यकता पड़ने पर व्यक्तियों को रोकने के लिए बल प्रयोग करने के लिए कुशल और समर्थ हो।

(2) उम्मीदवार किसी संक्रामक बीमारी अथवा उसके लक्षण से मुक्त हो जिसका उसकी सेवा के दौरान बढ़ने की आशंका हो या जिससे वह सेवा के लिए अनुपयुक्त हो जाए या जिससे जनता के स्वास्थ्य को खतरा उत्पन्न हो जाए।

(3) अभिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि इसके पास कार्यरत प्रत्येक प्राईवेट सुरक्षा गार्ड उसकी अन्तिम ऐसी स्वास्थ्य जांच के प्रत्येक बारह माह पश्चात् स्वास्थ्य जांच कार्रवाई है, ताकि उसके प्रवेश के समय यथा विनिर्दिष्ट शारीरिक मानदण्ड का सतत् अनुरक्षण सुनिश्चित किया जा सके।

पर्यवेक्षक।
धारा 9.

8. (1) पन्द्रह से अनधिक प्राईवेट सुरक्षा गार्डों के काम के लिए एक पर्यवेक्षक होगा।

(2) यदि प्राईवेट सुरक्षा गार्ड विभिन्न परिसरों में सुरक्षा ड्यूटी पर हैं और उनके काम का पर्यवेक्षण एक पर्यवेक्षक द्वारा व्यवहार्य न हो, तो अभिकरण पर्यवेक्षकों की ऐसी संख्या प्रतिनियुक्त करेगा ताकि कम से कम प्रत्येक छह प्राईवेट सुरक्षा रक्षकों की सहायता, सलाह और पर्यवेक्षण के लिये एक पर्यवेक्षक उपलब्ध हो।

अनुज्ञप्ति प्रदान
करना।
धारा 7.

9. (1) धारा 7 के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन प्ररूप V में नियंत्रण प्राधिकारी को किया जाएगा।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक आवेदन धारा 7 की उप-धारा (3) में यथा नियत ऐसी फीस के साथ होगा। भुगतान तगद, मांग ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक या इलेक्ट्रॉनिक संव्यवहार में किया जाएगा।

(3) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक आवेदन—

(i) या तो व्यक्तिगत रूप से दिया जाएगा; अथवा

(ii) नियंत्रण प्राधिकारी को पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जाएगा; अथवा

(iii) ऑन लाइन प्रस्तुत किया जाएगा, बशर्ते कि वह आवेदक द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित हो।

(4) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन की प्राप्ति पर नियंत्रण प्राधिकारी आवेदक की या तो हाथ द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक रूप में, जैसी भी स्थिति हो, पावती भेजेगा।

(5) नियंत्रण प्राधिकारी उप-नियम (1) के अधीन आवेदन को प्राप्त करने के बाद, सभी औपचारिकताएं पूरी करने तथा आवेदक की उपयुक्तता तथा आवेदन किए गए संचालन के क्षेत्र के लिए अनुज्ञप्ति दिए जाने हेतु आवश्यकता के सम्बन्ध में भी स्वयं को सन्तुष्ट करने के बाद, प्ररूप VI में अभिकरण को अनुज्ञप्ति देगा :

परन्तु कोई भी अनुज्ञप्ति जिला जहां अभिकरण के कारदार का मुख्य स्थान है के जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त, जैसी भी स्थिति हो, से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किये बिना जारी नहीं किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए नियंत्रण प्राधिकारी अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन के साथ इसके अनुलग्नकों सहित सम्बद्ध जिला को एक प्रति भेजेगा।

(6) नियंत्रण प्राधिकारी स्वयं या अपने अधिकारियों के माध्यम से किसी प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण के सुरक्षा गार्डों तथा पर्यवेक्षकों को दिए गए प्रशिक्षण तथा निपुणता को सत्यापित करेगा।

(7) नियंत्रण प्राधिकारी ऐसे अभिकरणों की अनुज्ञप्तियों को जारी रखने अथवा देने बारे पुनर्विचार कर सकता है जिन्होंने अपेक्षित प्रशिक्षण की शर्तों को सुनिश्चित करने का पालन न किया हो।

10. (1) अनुज्ञप्तिधारी, अभिकरण बनाने वाले व्यक्तियों अथवा उनके पतों में किसी बदलाव के सम्बन्ध में ऐसे बदलाव के तीस दिन के भीतर नियंत्रण प्राधिकारी को सूचित करेगा।

अनुज्ञप्ति देने के लिए शर्तें।
धारा 6.

(2) अनुज्ञप्तिधारी, अभिकरण बनाने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध या ऐसे अभिकरण द्वारा रखे गए किसी प्राईवेट सुरक्षा गार्ड या पर्यवेक्षक के विरुद्ध किसी अपराधिक मामले के बारे में प्रथम सूचना रिपोर्ट के पंजीकरण की उसकी जानकारी के दस दिनों के भीतर नियंत्रण प्राधिकारी को सूचित करेगा/करेगी। ऐसी संसूचना की एक प्रति पुलिस थाना जहां उक्त व्यक्ति रहता है, के भारसाधक अधिकारी को भी भेजेगा।

(3) प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी ऐसी शर्तों के अनुसार जिन पर अनुज्ञप्ति दी गई है इन नियमों में यथा विहित प्राईवेट सुरक्षा गार्डों तथा पर्यवेक्षकों तथा उनके प्रशिक्षण के लिए शारीरिक मापदंड की अपेक्षाओं का पालन करेगा।

(4) इन नियमों में यथा उपबन्धित के सिवाय, अनुज्ञप्ति देने के लिए भुगतान की गई फीसें अप्रत्यर्पणीय होगी।

11. (1) धारा (8) के अधीन अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन नियंत्रण प्राधिकारी को प्ररूप V में किया जाएगा।

अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण।
धारा 8.

(2) अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए फीस वही होगी जो उसके देने के लिए है।

12. अनुज्ञप्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन नवीकृत की जाएगी :—

अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिए शर्तें।
धारा 8.

(i) आवेदक अपना मुख्य कारबार स्थान नियंत्रण प्राधिकारी की अधिकारिता में निरन्तर बनाए रखता है;

(ii) आवेदक प्राईवेट सुरक्षा गार्डों तथा पर्यवेक्षकों के लिए नियत प्रशिक्षण की उपलब्धता सुनिश्चित करना जारी रखता है;

(iii) आवेदक अनुज्ञप्ति की शर्तों की पालना करना निरन्तर जारी रखता है;

(iv) नियन्त्रण प्राधिकारी जिला जहां अभिकरण का अपना कारबार का मुख्य स्थान है, के जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त, जैसी भी स्थिति हो, से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करेगा।

अपील।
धारा 14.

13. (1) धारा 14 के अधीन प्रस्तुत अपील आवेदक या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा 2,000/-रुपये की फीस के साथ हस्ताक्षरित प्ररूप VII में की जाएगी तथा व्यक्तिगत रूप में अथवा पंजीकृत डाक द्वारा राज्य सरकार को भेजी जाएगी।

रजिस्टर।
धारा 15.
फोटो पहचान-पत्र।
धारा 17.

14. धारा 15 के अधीन रजिस्टर अभिकरण द्वारा प्ररूप VIII में रखा जाएगा।

15. (1) प्रत्येक प्राईवेट सुरक्षा गार्ड को धारा 17 के अधीन अभिकरण द्वारा फोटो पहचान पत्र प्ररूप IX में जारी किया जाएगा।

(2) फोटो पहचान पत्र में दिसावृत्ति को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा लक्षण होंगे।

(3) जारी फोटो पहचान पत्र अप-टू-डेड रखा जाएगा तथा ब्यौरों में कोई भी परिवर्तन उसमें दर्ज किया जाएगा।

(4) फोटो पहचान पत्र अभिकरण को वापस किया जाएगा जब प्राईवेट सुरक्षा गार्ड अभिकरण द्वारा नहीं लगाए रखा जाता है या उस द्वारा नियोजित नहीं रहता है।

(5) फोटो पहचान पत्र की कोई हानि या चोरी अभिकरण के ध्यान में तुरन्त लाई जाएगी।

अन्य त्तै।

16. (1) प्रत्येक प्राईवेट सुरक्षा गार्ड कार्य के समय निम्नलिखित पहनेगा :—

(क) अभिकरण को सुभेदक बाजू बैज;

(ख) संगठन में उसके पद को दर्शाने वाले कन्धों या छाती का बैज;

(ग) डोरी से बंधी सीटी जो बाईं जेब में रखी हो;

(घ) छोटे छिद्रों तथा तस्में वाले जूते;

(ङ) टोपी जिस पर अभिकरण का सुभेदक चिन्ह भी होगा; तथा

(च) फोटो पहचान पत्र अपने शरीर पर किसी सहजदृश्य रीति से कमर से ऊपर बाहरी वस्त्र पर प्रदर्शित करते हुए धारण करेगा।

(2) ड्यूटी के समय प्राईवेट सुरक्षा गार्डों द्वारा पहने जाने वाले कपड़े ऐसे होंगे जो उनके दक्षता में बाधा न बने।

(3) प्रत्येक प्राईवेट सुरक्षा गार्ड अपने साथ एक नोट बुक तथा लेखन उपकरण रखेगा।

प्ररूप I

[देखिए नियम 4]

आवेदक के पूर्ववृत्त के सत्यापन के लिए प्ररूप

1. आवेदक के अंगूठे का निशान :

(कृपया पुरुष की दशा में बायें हाथ के अंगूठे का निशान तथा
स्त्री की दशा में दाएं हाथ के अंगूठे का निशान लगाएं)

2. आवेदक के नमूना हस्ताक्षर :

(i)

(ii)

(iii)

श्रेणी-1 राजपत्रित अधिकारी द्वारा
सत्यापित पासपोर्ट साईज में हाल
ही का फोटो

पूरे विवरण बड़े अक्षरों में भरें।

(चेतावनी : कृपया सही सूचना दें। कोई वास्तविक सूचना छुपाना उम्मीदवार को अनुज्ञप्ति देने के लिए अनुपयुक्त बना देगा।)

3. फीस के भुगतान के ब्यौरे :

फीस की राशि.....फीस का ढंग.....

बैंक का नाम (यदि कोई हो).....संख्या और तिथि.....

1. अन्तिम नाम.....

2. प्रथम नाम.....

3. यदि आपने अपना नाम बदला है, कृपया अपने सभी पूर्व नाम पूरे अंकित करें

4. लिंग (पुरुष/स्त्री) :

5. जन्म तिथि : आयु :

6. जन्म स्थान :

जिला, राज्य तथा देश :

7. दृश्य सुभिन्न चिह्न :

8. **दरभाष संख्या (एस०टी०डी० कोड सहित) :**

9. फ़ैक्स नम्बर :

10. मोबाईल फोन नम्बर :

11. परिवार के सदस्यों के विवरण :

सम्बन्ध	प्रथम नाम	अन्तिम नाम	वर्तमान पता
पिता			
माता			
पति/पत्नी (यदि कोई है)			
विधिक संरक्षक (यदि कोई हो)			

12. वर्तमान निवास पता :

वर्तमान निवासी पता :

जिला : राज्य : पिन कोड :

13. कृपया तिथि बताएं जब से उपरोक्त वर्णित पते पर रह रहे हैं :
14. यदि आवेदक उपरोक्त खाना (12) में दिए गए वर्तमान पते पर अंतिम पांच वर्षों से लगातार नहीं रह रहे हैं तो कृपया पूर्व पते के ब्यारे दें।

क्रम संख्या	पता	से	तक

पिछले पांच वर्षों के दौरान रह रहे प्रत्येक अतिरिक्त स्थान के लिए इस प्ररूप की अतिरिक्त प्रतियां प्रस्तुत करें। यदि अपेक्षित हो, तो प्ररूप की फोटो प्रति की जाए, किन्तु प्रत्येक प्रति पर फोटो तथा हस्ताक्षर मूल रूप में लगाए जाने अपेक्षित हैं।

15. स्थाई पता :

	जिला :					राज्य :					पिन कोड :		

16. यदि आप विदेश में रह रहे हैं, स्थानों के विवरण दें, जहां इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद आवेदक छह मास से अधिक रहा है :

क्रम संख्या	पता	से	तक

17. अन्य ब्यौरे :

(क) शैक्षणिक योग्यताएं :

क्रम संख्या	योग्यता	संस्थान का नाम	बोर्ड/विश्वविद्यालय	वर्ष	अंकों की प्रतिशतता

(ख) कार्य अनुभव :

क्रम संख्या	नियोक्ता का नाम तथा पता	सम्पर्क दूरभाष संख्या	धारित पद	से	तक

(ग) पूर्व नियोजन छोड़ने का कारण :

18. क्या आपने पहले कभी किसी प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण का परिचालन किया है ?.....

19. यदि हां, तो ब्यौरे दें :

क्रम संख्या	नाम तथा पता	कब से

20. क्या आप भारत के नागरिक हैं ? हां/नहीं

यदि हां तो अवजनन से/रजिस्ट्रेशन से/देशीयकरण से
(कृपया सही विकल्प को चिह्नित करें)

20. यदि आपने पहले कभी किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त की है, तो नाम दें.....
.....

22. क्या आप किसी समय किसी अपराधिक अपराध के लिए भारत में किसी न्यायालय द्वारा सिद्धदोष ठहराए गए
हैं ? यदि हां, तो ब्यौरे दीजिए (मामला संख्या तथा वर्ष, थाना, न्यायालय का नाम तथा अपराध).....
.....
(कृपया प्रत्येक मामले में न्याय-निर्णय की प्रति संलग्न करें)

23. क्या आपके विरुद्ध भारत के किसी न्यायालय में कोई अपराधिक कार्यवाहियां लम्बित हैं ? यदि हां, तो ब्यौरे दें (थाना,
मामला संख्या तथा वर्ष, न्यायालय का नाम तथा अपराध).....
.....
.....

तिथि :

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

स्थान :

24. अनुलग्नक :

1.

2.

3.

4.

घोषणा : इस प्ररूप तथा अनुलग्नकों में मेरे द्वारा दी गई सूचना सही है और इनकी यथार्थता के लिए मैं अकेला ही उत्तरदायी हूँ।

(आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान)

(कृपया पुरुष की दशा में बाएँ हाथ के अंगूठे का निशान तथा स्त्री की दशा में दाएँ हाथ के अंगूठे का निशान लगाएँ)

केवल कार्यालय प्रयोग के लिए

प्ररूप संख्या	थाना का नाम जहाँ पुलिस सत्यापन के लिए भेजा गया है	प्रेषण की तिथि	टिप्पणियाँ

प्ररूप II

[देखिए नियम 5]

प्राइवेट सुरक्षा गार्ड के चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन के लिए प्ररूप

1. आवेदक के अंगूठे का निशान :

(कृपया पुरुष की दशा में बायें हाथ के अंगूठे का निशान तथा
स्त्री की दशा में दाएं हाथ के अंगूठे का निशान लगाएं)

2. आवेदक के नमूना हस्ताक्षर :

(i)

(ii)

(iii)

श्रेणी-1 राजपत्रित अधिकारी द्वारा
सत्यापित पासपोर्ट साईज में हाल
ही का फोटो

पूरे विवरण बड़े अक्षरों में भरें।

(चेतावनी : कृपया सही सूचना दें। कोई वास्तविक सूचना छुपाना उम्मीदवार को अनुज्ञप्ति देने के लिए अनुपयुक्त बना
देगा।)

3. फीस के भुगतान के ब्यौरे :

फीस की राशि.....फीस का ढंग.....

बैंक का नाम (यदि कोई हो).....संख्या और तिथि.....

व्यक्तिगत विवरण :

4. अन्तिम नाम.....

5. प्रथम नाम.....

6. यदि आपने अपना नाम बदला है, कृपया अपने सभी पूर्व नाम पूरे अंकित करें

.....
.....

7. लिंग (पुरुष/स्त्री) :

8. जन्म तिथि :आयु :

- | सम्बन्ध | प्रथम नाम | अन्तिम नाम | वर्तमान पता |
|----------------------------|-----------|------------|-------------|
| पिता | | | |
| माता | | | |
| पति/पत्नी (यदि कोई है) | | | |
| विधिक संरक्षक (यदि कोई हो) | | | |

- वर्तमान निवास पता :

जिला : राज्य : पिन कोड :

16. कृपया तिथि बताएं जब से उपरोक्त वर्णित पते पर रह रहे हैं :

17. यदि आवेदक खाना (15) में दिए गए वर्तमान पते पर अंतिम पांच वर्षों से लगातार नहीं रह रहे हैं तो कृपया पूर्व पते के ब्योरे दें।

क्रम संख्या	पता	से	तक

पिछले पांच वर्षों के दौरान रह रहे प्रत्येक अतिरिक्त स्थान के लिए इस प्ररूप की अतिरिक्त प्रतियां प्रस्तुत करें। यदि अपेक्षित हों, तो प्ररूप की फोटो प्रति की जाए, किन्तु प्रत्येक प्रति पर फोटो तथा हस्ताक्षर मूल रूप में लगाए जाने अपेक्षित हैं।

18. स्थाई पता :

जिला :													राज्य :	पिन कोड :

19. यदि आप विदेश में रह रहे हैं, स्थानों के विवरण दें, जहां इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद आवेदक छह मास से अधिक रहा है :

क्रम संख्या	पता	से	तक

20. अन्य ब्यौरे :

(क) शैक्षणिक योग्यताएं :

क्रम संख्या	योग्यता	संस्थान का नाम	बोर्ड/विश्वविद्यालय	वर्ष	अंकों की प्रतिशतता

(ख) कार्य अनुभव :

क्रम संख्या	नियोक्ता का नाम तथा पता	सम्पर्क दूरभाष संख्या	धारित पद	से	तक

(ग) पूर्व नियोजन छोड़ने का कारण :

21. क्या आप प्ररूप III में वैध चरित्र तथा पूर्ववृत्त प्रमाण-पत्र रखते हैं ? हां/नहीं यदि हां, तो प्रति संलग्न करें।
22. क्या आप भारत के नागरिक हैं ? हां/नहीं
यदि हां तो अवजनन से/रजिस्ट्रेशन से/देशीयकरण से
(कृपया सही विकल्प को चिह्नित करें)

23. यदि आपने पहले कभी किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त की है, तो नाम दें.....
24. क्या आप किसी समय किसी अपराधिक अपराध के लिए भारत में किसी न्यायालय द्वारा सिद्धदोष ठहराए गए हैं ? यदि हां, तो ब्यौरे दीजिए (मामला संख्या तथा वर्ष, थाना, न्यायालय का नाम तथा अपराध).....
(कृपया प्रत्येक मामले में न्याय-निर्णय की प्रति संलग्न करें)
25. क्या आपके विरुद्ध भारत के किसी न्यायालय में कोई अपराधिक कार्यवाहियां लम्बित हैं ? यदि हां, तो ब्यौरे दें (थाना, मामला संख्या तथा वर्ष, न्यायालय का नाम तथा अपराध).....
26. क्या किसी न्यायालय ने आपकी पेशी हेतु वारंट या समन अथवा गिरफ्तारी हेतु वारंट अथवा आपके भारत छोड़ने को प्रतिनिद्ध करते हुए कोई आदेश जारी किए हैं ? यदि ऐसा है, तो न्यायालय का नाम, मुकदमा संख्या तथा अन्य ब्यौरे दें :
27. घोषणा : इस प्ररूप तथा अनुलग्नकों में मेरे द्वारा दी गई सूचना सही है और इनकी यथार्थता के लिए मैं अकेला ही उत्तरदायी हूँ।

(आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान)

(*यदि पुरुष है, तो बाएं हाथ के अंगूठे का निशान और यदि स्त्री है, तो दाएं हाथ के अंगूठे का निशान)

तिथि :

स्थान :

28. मृत्यु अथवा दुर्घटना की दशा में, सूचना दिए जाने वाले व्यक्ति का विवरण :

नाम.....

पता.....

मोबाईल/दूरभाष संख्या.....

29. अनुलग्नक :

1.

2.

3.

4.

(आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान)

(*कृपया पुरुष की दशा में बाएं हाथ के अंगूठे का निशान और यदि स्त्री की दशा में दाएं हाथ के अंगूठे का निशान लगाएं)

केवल कार्यालय प्रयोग के लिए

प्रारूप संख्या	थाना का नाम जहां पुलिस सत्यापन के लिए भेजा गया है	प्रेषण की तिथि	टिप्पणियां

प्ररूप III

[देखिए नियम 5(10)]

चरित्र और पूर्ववृत्त प्रमाण - पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी
..... पुत्र / पुत्री श्री
जिसके बारे में नीचे दिए गए हैं, उसका नैतिक चरित्र और ख्याति अच्छी है आवेदक पिछले
..... वर्षों से निम्न पते पर लगातार रह रहा है :—

जन्म तिथि

जन्म स्थान

शैक्षिक योग्यता

व्यवसाय

वर्तमान पता

स्थायी पता

जारीकर्ता प्राधिकारी

हस्ताक्षर :

नाम और पदनाम :

पता / दूरभाष संख्या :

जारी करने की तिथि :

प्ररूप IV

[देखिए नियम 6(4)]

प्रशिक्षण प्रमाण - पत्र

क्रम संख्या :

प्रशिक्षण संस्थान का नाम :

प्रशिक्षण संस्थान का पता :

अनुज्ञापि संख्या :

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी

पुत्र / पुत्री श्री निवासी

..... ने से

तक प्राईवेट सुरक्षा गार्ड के रूप में लगने के लिए या नियोजन के लिए प्रशिक्षण पूरा कर लिया है।

उसके हस्ताक्षर नीचे साक्षात्कृत हैं :

प्रमाण - पत्र धारी के हस्ताक्षर

.....

जारीकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर

पदनाम :

जारी करने का स्थान :

जारी करने की तिथि :

प्ररूप V

[देखिए नियम 9 तथा 11]

अनुज्ञप्ति नवीनीकरण करने हेतु आवेदन - पत्र

सेवा में,

नियन्त्रक प्राधिकारी,

.....

.....

अधोहस्ताक्षरी इसके द्वारा प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण के कारबार में कार्य करने के लिये अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन करता है :—

1. आवेदक का पूरा नाम :

.....

2. पता :

3. दूरभाष संख्या : फैक्स संख्या:

ईमेल पता :

4. पता जहां आवेदक अपना अभिकरण प्रारम्भ करने का इच्छुक है :

5. नियन्त्रण प्राधिकारी के साथ पत्राचार के प्रयोजन के लिए आवेदक के प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम, पता तथा सम्पर्क ब्योरे :

6. स्वामी, हिस्सेदारों / शेयरधारकों / प्रबन्धकों / निदेशकों और अभिकरण के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के नाम तथा पते :

क्रम संख्या	नाम	माता-पिता	पता	राष्ट्रीयता

(कृपया पूर्ववृत्त के सत्यापन के लिए यदि अपेक्षित हो तो अलग शीट लगाएं। आवेदक का व्यक्तिगत विवरण प्ररूप 1 में भरें)

7. उपलब्ध सुविधा का विवरण :
(यदि अपेक्षित हो, तो कृपया अलग शीट लगाएं)
8. निर्देश देने हेतु नियुक्त अमले की योग्यतायें :—

नाम

आयु

पद नाम
(यदि अपेक्षित हो, तो कृपया अलग शीट लगाएं)
9. सुरक्षा सेवा में उपबंध करने के लिए उपलब्ध उपकरण :
(यदि अपेक्षित हो, तो कृपया अलग शीट लगाएं)
10. यदि आवेदक प्राईवेट सुरक्षा गार्ड तथा पर्यवेक्षक के लिए वर्दी प्रयोग करना चाहता है :
वदी का विवरण (रंग, बिल्ला इत्यादि) :
11. क्या आवेदक के पास किसी अन्य राज्य में प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण चलाने के लिए अनुज्ञप्ति है? (यदि हां तो अनुज्ञप्ति की प्रति संलग्न करें)
12. क्या आवेदक एक से ज्यादा जिलों में चलाना चाहता है, यदि ऐसा है, तो जिलों के नाम :

1. 2. 3.

4. 5.
(यदि अपेक्षित हो, तो कृपया अलग शीट लगाएं)
13. क्या आवेदक पूरे राज्य में चलाना चाहता है :
14. क्या अभिकरण के पास अपनी प्रशिक्षण सुविधा है या इसको बाहरी स्रोतों के आधार से दिलायेगा?
(प्रत्येक ऐसी प्रशिक्षण सुविधाओं के नाम तथा पते, यदि अपेक्षित हों, तो अतिरिक्त कागज में दिए जाने चाहिए)

15. फीस भुगतान के ब्योरे :

राशि भुगतान का ढंग

बैंक का नाम (यदि कोई हो) संख्या तथा तिथि

हस्ताक्षर :

आवेदक का नाम :

आवेदक का पता :

तिथि :

स्थान :

अनुलग्नक :

1. वर्तमान आयकर अनापत्ति प्रमाण-पत्र की प्रति।
2. अधिनियम की धारा 7 की उप धारा (2) में यथाविहित शपथ-पत्र।
3.
4.

प्ररूप - VI

[देखिए नियम 11]

प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण के कारबार लगाने के लिए अनुज्ञप्ति

1. क्रम संख्या :
2. तिथि :
3. श्री / श्रीमति / कुमारी (आवेदक का नाम)
पुत्र / पुत्री श्री
निवासी
..... (पूरा पता)
4. नियंत्रण अधिकारी द्वारा राज्य के जिला (जिलों) में / राज्य (जो लागू
न हो उसे काट दें) के प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का
कारबार चलाने हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है।
कार्यालय
जारी करने का स्थान
जारी करने की तिथि
यह अनुज्ञप्ति तक वैध है।

हस्ताक्षर :

नियंत्रण प्राधिकारी का नाम :

पद नाम :

कार्यालय का पता :

नवीकरण

(देखिए नियम 14)

नवीकरण की तिथि

अवसान की तिथि

1.

2.

3.

4.

हस्ताक्षर :

नियंत्रण प्राधिकारी का नाम :

पद नाम :

कार्यालय का पता :

प्ररूप - VII

(देखिए नियम 13)

अपील हेतु प्ररूप

सेवा में,

वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव,
हरियाणा सरकार, गृह विभाग,
चण्डीगढ़।

श्रीमान्/श्रीमती जी,

अधोहस्ताक्षरी प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 14 के
अन्तर्गत निम्नलिखित ब्योरे देते हुए अपील दायर करता है :—

श्री/श्रीमती/कुमारी (आवेदक का नाम)

पुत्र/पुत्री श्री निवासी
..... (पूरा पता)

नियंत्रण प्राधिकारी

अपील विरुद्ध आदेश संख्या तथा दिनांक

के मामले में :

(आक्षेप आदेश की अनुलग्नक प्रति)

अपील का आधार :

.....
.....
.....

(यदि अपेक्षित हो, तो कृपया अलग शीट लगाएं)

अनुलग्नकों की सूची :

1.
2.
3.
4.

हस्ताक्षर :

आवेदक का नाम :

तिथि

स्थान

प्ररूप VIII

(देखिए नियम 14)

ब्योरा रजिस्टर

(भाग-I प्रबन्धन विवरण)

क्रम संख्या	नाम	पिता का नाम	धारित पद	वर्तमान पता तथा फोन नम्बर	स्थायी पता	राष्ट्रीयता	अभिकरण में नियुक्त/छोड़ने की तिथि

(भाग-II प्राईवेट सुरक्षा गार्ड और पर्यवेक्षक)

क्रम संख्या	नाम	पिता का नाम	पद	वर्तमान पता तथा फोन नम्बर	अभिकरण में नियुक्त/छोड़ने की तिथि	स्थायी पता	फोटो	बैज संख्या	तिथि सहित वेतन

(भाग-III ग्राहक विवरण)

क्रम संख्या	ग्राहक का नाम, पता तथा टेलिफोन नम्बर	जहां सुरक्षा दी जानी है उसका पता	कितने और किस स्तर के सुरक्षा गार्ड दिये गये हैं	सेवा में आने की तिथि	सेवा समाप्ति की तिथि

(भाग-IV काम तालिका)

क्रमांक	निजी सुरक्षा गार्ड तथा निरीक्षक का नाम	कार्य करने के स्थान का पता	क्या कोई हथियार / बातचीत करने का यन्त्र दिये गये हैं	कार्य शुरू करने की तिथि	कार्य समाप्त करने की तिथि

प्ररूप IX

(देखिए नियम 15)

(प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण का नाम तथा लोगो)

1. नाम
2. पद
3. पहचान संख्या
4. ब्लड ग्रुप
5. वैध तिथि
6. नमूना हस्ताक्षर

पासपोर्ट साईज में
नया फोटो जो
राजपत्रित अधिकारी
से सत्यापित हो।

जारीकर्ता अधिकारी
के मोहर सहित हस्ताक्षर

(अतिरिक्त सूचना जैसे कि दूरभाष नम्बर इत्यादि पिछली तरफ दिये जा सकते हैं।)

कृष्ण मोहन,
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव,
हरियाणा सरकार, गृह विभाग।

(Authorised English Translation)

HARYANA GOVERNMENT

HOME DEPARTMENT

Notification

The 31st August, 2009

No S.O. 83/C.A. 29/2005/S.25/2009.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (2) of section 25 of the Private Security Agencies(Regulation) Act, 2005(Central Act 29 of 2005), the Governor of Haryana hereby makes the following rules regulating the grant or renewal of license to a private security agency, namely :—

1. These rules may be called the Haryana Private Security Agencies Rules, 2009. Short title.

2. (1) In these rules, unless the context otherwise requires,— Definitions.
- (a) “Act” means the Private Security Agencies’ (Regulation) Act, 2005 (Central Act 29 of 2005);
 - (b) “Agency” means a Private Security Agency;
 - (c) “Form” means a form appended to these Rules;
 - (d) “recognised institute” means any police or paramilitary training institution or such other training institution, as approved by the Controlling Authority.

(2) Words and expressions not defined in these rules but defined in the Act, shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

3. (1) The Additional Director General of Police, Law and Order, Haryana Police shall be designated as the Controlling Authority. Controlling Authority
Section 3

(2) The Controlling Authority shall be responsible for maintaining a website where all relevant information namely, the Act, rules, procedures, forms, circulars, notices for the general public shall be available both in Hindi as well as English, in order to do away with the need for personal visit.

(3) Every Agency shall designate an authorized representative and intimate the same to the Controlling Authority. Correspondence with the Agency shall be made, as far as possible, by electronic means through its authorized representative. The submission of application forms, verification requests along with related documents, forms, fees etc. may also be made online.

4. (1) An application for grant or renewal of licence under sections 7 or 8 shall be made by the applicant in Form V to the Controlling Authority alongwith information in Form I for verification of his antecedents. If the applicant is a company, a firm or an association of persons, the application shall be accompanied with Form I for every such applicant. Verification of
antecedents of
applicant.
Section 10

(2) On receipt of such application, the Controlling Authority shall make, or cause to be made, such enquiries, as it considers necessary to verify the contents of the application and the particulars of the applicants.

(3) The District Superintendent of Police or the Commissioner of Police, as the case may be, in addition to the causing of verification of antecedents of every individual in whose name the antecedent form is filled up, shall also furnish the following information—

- (i) whether the applicant or the company operated any private security agency earlier, either individually or in partnership with others and if so, the details thereof; and
- (ii) whether the applicant possesses any special qualification or skill, which may facilitate his operations of Private Security Agency.

Verification of character and antecedents of private security guards.

5. (1) No person shall be employed or engaged as a security guard unless the Agency has satisfied itself about the character and antecedents of such person in anyone or more of the following manners, namely:—

- (a) by verifying the character and antecedents of the person by itself;
- (b) by relying upon the character and antecedent verification certificate produced by the person:

Provided that the character and antecedent certificate is valid and the Agency does not have any adverse report regarding the person's character and antecedents from any other source; or

- (c) by relying on the report received from the police signed under the authority of the District Superintendent of Police.

(2) The person desirous of getting employed or engaged as security guard or supervisor shall submit information in Form II to the Agency. If the person has stayed in more than one district during the last five years, one copy per district shall be submitted.

(3) The Agency shall cause an inquiry into the correctness of the particulars filled in either by itself or by sending the Form II to the respective District Superintendent of Police.

(4) Where the Agency decides to verify the character and antecedents through the police, the police officer entrusted with the task of such verification shall visit the locality, where the person claims to have resided or is residing, and ascertain his identity and general reputation. Police records shall be consulted before preparing the character and antecedents verification report. Criminal history of the person, if any, shall be specifically highlighted:

Provided that if a person has submitted copy of a reliable proof of identity, like a passport or any other identity document, as may be specified by the

Controlling Authority in this regard from time to time, visit to the locality shall be dispensed with.

(5) For availing services of the police for character and antecedents verification, the Agency shall submit Form II of the person along with a fee of Rs. 500/- per candidate. The fee may be paid in cash, cheque, banker's cheque or by electronic transfer.

(6) In case the Agency decides to verify the character and antecedents of the person by itself, it shall mandatorily consult the Police records/crime criminal database to ascertain the criminal history. For this purpose, the Agency shall submit a request to the concerned District Superintendent of Police along with information furnished by the applicant in Form II along with a fee of Rs. 200/- per applicant. The police shall furnish the aforesaid report on the basis of police records only.

(7) The police authorities shall ensure that character and antecedent verification report and the report of verification of criminal history of the person for the purpose of sub rule (6), are issued within thirty days and ten days respectively of the receipt of the request failing which it shall be presumed that they have nothing adverse to report.

(8) The contents of the report of the police regarding character and antecedents of a person shall be kept confidential at all times.

(9) The character and antecedents verification report once issued, shall remain valid for a period of five years.

(10) On the basis of police verification or on the basis of their own verification, the Agency shall issue a character certificate in Form III. This certificate shall not be taken back by such Agency even if the person ceases, to be the employee of that Agency.

6. (1) Training shall be imparted to the security guards on the following subjects, namely:—

- (a) conduct in public and correct wearing of uniform;
- (b) physical fitness;
- (c) physical security, security of the assets, security of the buildings/apartments, personnel security, household security;
- (d) fire fighting;
- (e) examining identification papers including identity card, passport and smart cards;
- (f) should be able to read and understand English alphabets and Arabic numerals as normally encountered at the time of identification of documents, arms licenses, travel documents and security inspection sheets;

Security
Training.
Section 9

-
- (g) identification of improvised explosive devices;
 - (h) first aid;
 - (i) crisis response and disaster management;
 - (j) defensive driving (compulsory for drivers of armored vehicle and optional for others);
 - (k) handling and operation of non prohibited weapons and firearms (optional);
 - (l) rudimentary knowledge of The Indian Penal Code, 1860(45 of 1860), relating to right to private defense, procedure for lodging first information report in police station as mentioned in Code of Criminal Procedure, 1973;
 - (m) identification of different types of arms in use in public and police;
 - (n) use of security equipment and devices like security alarms and screening equipments ; and
 - (o) leadership and management (for supervisory staff only).

(2) The duration of the training for security guards shall be a minimum of hundred hours of classroom instruction and sixty hours of field training spread over atleast twenty working days in a recognised institute. Ex-servicemen and former police personnel shall however be required to attend only a condensed course of minimum forty hours of classroom instructions and sixteen hours of field training spread over atleast seven working days.

(3) First level and second level supervisors concerned with the management of security services rendered by the Agency, shall also be imparted training for a period not less than three months, minimum six hours every day, from a recognized institute. For the persons having experience of defence, paramilitary or police service, a condensed course of six weeks duration shall suffice. In addition to the subjects for the training of security guards, they shall also be imparted training in criminal law, police working, leadership and managerial skills.

(4) Every security guard and supervisor concerned with the management of security services rendered by the Agency shall have to successfully undergo the training. On completion of training, each successful trainee shall be granted a training certificate in Form IV by the recognized institute.

(5) Unsuccessful candidates shall not be assigned to security duty until they successfully complete the training.

(6) All Agencies shall submit a list of successful trainees to the Controlling Authority.

(7) The Controlling Authority shall lay down norms and the procedure for grant of recognition to training institutions, both public and private, for the purpose of imparting training to private security guards and supervisors in accordance with these rules.

7. (1) No person shall be eligible for being engaged or employed as security guard or supervisor concerned with the management of security services, unless he fulfills the following standards of physical fitness:—

Standard of
physical fitness.

- (i) (a) Height: Men -160 cms
Women -150 cms
- (b) Weight : According to standard table of height and weight.
- (c) Chest : 80 cms with an expansion of 4 cms (for female no minimum requirement for chest measurement).
- (ii) Eye sight : far sight vision 6/6; near vision 0.6/0.6 with or without correction; free from color blindness; should be able to identify and distinguish color display, security equipments and read and understand display in English alphabets and Arabic numerals.
- (iii) Free from knock knee and flat foot and should be able to run one kilometer in six minutes (Persons above forty five years of age shall get relaxation of one minute).
- (iv) Hearing: free from defect and should be able to hear and respond to the spoken voice and the alarms generated by security equipments.
- (v) The candidate shall have dexterity and strength to perform searches, handle objects and use force for restraining the individuals in case of need.

(2) A candidate shall be free from evidence of any contagious or infectious disease which is likely to be aggravated by service or is likely to render him unfit for service or endanger the health of the public.

(3) The Agency shall ensure that every security guard working for it undergoes a medical examination after every twelve months from his last such examination, so as to ensure the continued maintenance of physical standard as specified for the entry level.

8. (1) There shall be one supervisor to supervise the work of not more than fifteen private security guards.

Supervisors
section 9

(2) In case the private security guards are on security duty in different premises and it is not practical to supervise their work by one supervisor, the Agency

shall depute such number of supervisors so that at least for every six private security guards there is one supervisor available for assistance, advice and supervision.

Grant of licence
section 7.

9. (1) An application for the grant of a licence under section 7 shall be made to the Controlling Authority in Form V.

(2) Every application referred to in sub-rule (1) shall be accompanied with such fee as stipulated in sub section (3) of section 7. Payment shall be made by cash, demand draft, bankers cheque or electronic transfer.

(3) Every application referred to in sub-rule (1) shall be

(i) either personally delivered; or

(ii) sent to the Controlling Authority by registered post; or,

(iii) submitted online, provided the same is digitally signed by the applicant.

(4) On receipt of the application referred to in sub-rule (1), the Controlling Authority shall send an acknowledgement to the applicant, either manually or electronically, as the case may be.

(5) The Controlling Authority, after receiving the application under sub-rule (1) shall grant a licence to the Agency in Form VI after completing all the formalities and satisfying itself about the suitability of the applicant and also the need for granting the licence for the area of operation applied for:

Provided that no licence shall be issued without a no objection certificate from the District Superintendent of Police or the Commissioner of Police, as the case may be, of the district where the Agency has its principal place of business. For this purpose the Controlling Authority shall send, a copy of the application for license along with its enclosures to the concerned district.

(6) The Controlling Authority either by itself or through its officers may verify the training and skills imparted to the private security guards and supervisors of any private security agency.

(7) The Controlling Authority may review the continuation or grant of licence of such Agency which may not have adhered to the condition of ensuring the required training.

Conditions for
grant of licence
section 6.

10. (1) The licensee shall inform the Controlling Authority regarding any change of persons forming the Agency or their address within thirty days of such change.

(2) The licensee shall intimate the Controlling Authority about any criminal case registered against a person forming the Agency or against a private security guard or supervisor engaged by the Agency within ten days of his knowledge of registration of FIR. A copy of such communication shall also be sent to the officer in charge of the police station where the said person resides.

(3) Every licensee shall abide by the requirements of physical standards for private security guards and supervisors and their training as prescribed in these rules as the condition on which the licence is granted.

(4) Save as provided in these rules, the fees paid for the grant of licence shall be non-refundable.

11. (1) An application shall be made to the Controlling Authority for renewal of the licence under section 8 in Form V.

Renewal of
Licence
section 8.

(2) The fee for renewal of the licence shall be the same as for the grant thereof.

12. The licence shall be renewed subject to the following conditions, namely:—

Conditions for
renewal of
licence
section 8.

- (i) the applicant continues to maintain his principal place of business in the jurisdiction of the Controlling Authority;
- (ii) the applicant continues to ensure the availability of the stipulated training for private security guards and supervisors;
- (iii) the applicant continues to adhere to the license conditions;
- (iv) the Controlling Authority has obtained a no objection certificate from the District Superintendent of Police or the Commissioner of Police, as the case may be, of the district where the Agency has its principal place of business.

13. An appeal preferred under section 14 shall be in Form VII along with a fee of Rs. 2000/-, signed by the appellant or his authorized representative and may be presented in person or by registered post to the State Government.

Appeal
section 14

14. The register under section 15 shall be maintained by the Agency in Form VIII.

Register
section 15

15. (1) Every private security guard shall be issued a photo identity card under section 17 by the Agency in Form IX.

Photo identity
card. section 17

(2) The photo identity card shall have sufficient security features.

(3) The photo identity card issued shall be maintained upto date and any change in the particulars shall be entered therein.

(4) The photo identity card shall be returned to the Agency when the private security guard is no longer engaged or employed by it.

(5) Any loss or theft of photo identity card shall immediately be brought to the notice of the Agency.

16. (1) Every private security guard while on duty shall put on,—

Other conditions

- (a) an arm badge distinguishing the Agency;

-
- (b) shoulder or chest badge to indicate his position in the organization;
 - (c) whistle attached to the cord and to be kept in the left pocket;
 - (d) shoes with eyelet and laces;
 - (e) a headgear which may also carry the distinguishing mark of the Agency; and
 - (f) photo identity card on the outer most garment above waist level on his person in a conspicuous manner.

(2) The clothes worn by the private security guard while on duty shall be such that they do not hamper with his efficiency.

(3) Every private security guard shall carry a note book and a writing instrument with him.

Form I

(see rule 4)

Form for verification of antecedents of applicant

1. Thumb impression of the applicant :
(Please affix left Hand Thumb
impression in case of Male and Right
Hand Thumb Impression in case of
Female).

2. Specimen Signature of the applicant :

- (i)
(ii)
(iii)

Passport size recent
photograph attested
by class -I Gazetted
Officer

Please fill all particulars in BLOCK LETTERS. (CAUTION: Please furnish correct information. Suppression of any factual information shall render the candidate unsuitable for grant of license.)

3. **Payment of fee details :**

Fee Amount Mode of Payment

Name of Bank (if any) No. & date

Personal Particulars : -

1. Last name :
2. First name :
3. If the applicant has changed his name, please indicate all previous names in
full :
.....
4. Sex (male/female) :
5. Date of birth : Age :
6. Place of Birth :
District, State & Country :

- 11. Particulars of family Members :**

Relation	First name	Last name	Present Address
Father			
Mother			
Spouse (if any)			
Legal Guardian (if any)			

[illegible]

- | S.No. | Address | From | To |
|-------|---------|------|----|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

15. Permanent Address:

District :		State :	PIN Code :

16. In case of stay abroad, particulars of places where the applicant has resided for more than 6 months after attaining the age of twenty-one years:

S.No.	Address	From	To

17. Other Details:

(a) Educational Qualifications :

S. No.	Qualification	Name of the Institution	Board/University	Year	%age Marks

(b) Work experience:

S. No.	Name and address of employer	Contact Telephone No.	Position held	From	To

(c) Reason for leaving last employment :

18. Have you ever operated any Private Security Agency :

19. If yes, give details:

S.No.	Name & address	Since when

20. Are you a citizen of India? Yes/No

If yes, whether by **Descent/Registration/Naturalization** (Please tick the correct option)

21. In case you have ever possessed citizenship of any other country, give names:

.....

22. Have you at any time been convicted by a court in India for any criminal offence? If yes, give details (Case number & year, Police Station, Name of the court and offence) :

.....

.....

(Please attach copy of the judgement in each case)

23. Are any criminal proceedings pending against you before a court in India? If yes, give details (Police Station, Case number & year, Name of the court and offence) :

.....

Date

(Signature/T.I. of applicant)

Place

24. Enclosures :

1.

2.

3.

4.

Declaration : The Information given by me in this form and enclosures is true and I am solely responsible for its accuracy.

(Signature/T.I. of applicant)

(*Please affix Left Hand Thumb impression in case of Male and Right Hand Thumb Impression in case of Female)

For office use only			
Form number	Name of the police station where sent for police verification	Date of Despatch	Remarks

Form II

(see rule 5)

Form for verification of character and antecedents for Private Security Guard

1. Thumb impression of the applicant :
(Please affix left Hand Thumb
impression in case of Male and Right
Hand Thumb Impression in case of
Female).

2. Specimen Signature of the applicant :

- (i)
(ii)
(iii)

Passport size recent
photograph attested
by class -1 Gazetted
Officer

Please fill all particulars in BLOCK LETTERS. (CAUTION: Please furnish correct information. Suppression of any factual information will render the candidate unsuitable for grant of license.)

3. **Payment of fee details :**

Fee Amount Mode of Payment
Name of Bank (if any) No. & date

Penonal Particulars : -

4. Last name
5. First name
6. If the applicant has changed his name, please indicate all previous names in
full :
.....
7. Sex (male/female) :
8. Date of birth : Age :
9. Place of Birth :
District, State & Country :

18. Permanent Address:

[illegible]

- | S.No. | Address | From | To |
|-------|---------|------|----|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

- | S. No. | Qualification | Name of the Institution | Board/University | Year | %age Marks |
|--------|---------------|-------------------------|------------------|------|------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

- | S. No. | Name and address of employer | Contact Telephone No. | Position held | From | To |
|--------|------------------------------|-----------------------|---------------|------|----|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

(c) Reason for leaving last employment :

21. Do you have a valid Character and antecedents certificate in Form III? Yes/No If yes, please attach a copy.

22. Are you a citizen of India? Yes/No

If yes, whether by Descent/Registration/Naturalization (Please tick the correct option)

23. In case you have ever possessed citizenship of any other country, give names:

24. Have you at any time been convicted by a court in India for any criminal offence? If yes, give details (Case number & year, Police Station, Name of the court and offence) :

(Please attach copy of the judgement in each case)

25. Are any criminal proceedings pending against you before a court in India? If yes, give details (Police Station, Case number & year, Name of the court and offence) :

26. Has any court issued a warrant or summons for appearance or warrant for arrest or an order prohibiting your departure from India? If so, give name of the Court, case number and other details.

27. Declaration :

The information given by me in this form and enclosure is true and I am solely responsible for accuracy.

(Signature/T.I. of applicant)

(* Left Hand Thumb Impression if Male and Right Hand Thumb Impression if Female)

Date

Place

28. Particulars of person to be intimated in the event of death or accident:

Name

Address

Mobile/Tel. No.

29. Enclosures :

1.
2.
3.
4.

(Signature/T.I. of applicant)

(*Please affix left Hand Thumb impression in case of Male and Right Hand Thumb Impression in case of Female)

For office use only			
Form number	Name of the police station where sent for police verification	Date of Despatch	Remarks

FORM III*[See rule 5(10)]***CHARACTER AND ANTECEDENT CERTIFICATE**

This is to certify that Sh/Smt/Km.....

Son/Daughter of.....

whose particulars are given below has good moral character and reputation and
that the applicant has been staying at the following address continuously for the
last :—

Date of Birth

Place of Birth

Educational Qualification

Profession

Present Address

Permanent Address

Issuing Authority

Signature :

Name & Designation:

Address/Tel No:

Date of Issue:

हरियाणा सरकार

गृह विभाग

अधिसूचना

दिनांक 30 मई, 2011

संख्या का०आ० 44/के०अ० 29/2005/धा० 25/2011.—प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण (विनिकरण) अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम 29), की धारा 25 की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण नियम, 2009 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. ये नियम हरियाणा प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण (संशोधन) नियम, 2011, कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण नियम, 2009 में, नियम 3 के उपनियम (1) में, “अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, कानून तथा व्यवस्था, हरियाणा पुलिस” शब्दों तथा चिह्नों के स्थान पर “संयुक्त सचिव/विशेष सचिव, गृह विभाग” शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

समीर माथुर,

वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव,

हरियाणा सरकार, गृह विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT**HOME DEPARTMENT****Notification**

The 30th May, 2011

No. S.O. 44/C.A. 29/2005/S. 25/2011.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with Sub-section (2) of section 25 of the Private Security Agencies (Regulation) Act, 2005 (Central Act 29 of 2005), the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Private Security Agencies Rules, 2009, namely :—

1. These rules may be called the Haryana Private Security Agencies (Amendment) Rules, 2011.
2. In the Haryana Private Security Agencies Rules, 2009, in sub-rule (1) of Rule 3, for the words and sings "Additional Director General of Police, Law and Order, Haryana Police", the words and sings "Joint Secretary/Special Secretary, Home Department" shall be substituted.

SAMIR MATHUR,

Financial Commissioner and Principal Secretary to
Government Haryana, Home Department.

हरियाणा सरकार

गृह विभाग

अधिसूचना

दिनांक 30 मई, 2011

संख्या का०आ० 44/के०अ० 29/2005/घा० 25/2011.—प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण (विनिकरण) अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम 29), की धारा 25 की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण नियम, 2009 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. ये नियम हरियाणा प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण (संशोधन) नियम, 2011, कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण नियम, 2009 में, नियम 3 के उपनियम (1) में, “अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, कानून तथा व्यवस्था, हरियाणा पुलिस” शब्दों तथा चिह्नों के स्थान पर “संयुक्त सचिव/विशेष सचिव, गृह विभाग” शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किये जावेंगे।

समीर माथुर,

वित्तियुक्त एवं प्रधान सचिव,

हरियाणा सरकार, गृह विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT**HOME DEPARTMENT****Notification**

The 30th May, 2011

No. S.O. 44/C.A. 29/2005/S. 25/2011.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with Sub-section (2) of section 25 of the Private Security Agencies (Regulation) Act, 2005 (Central Act 29 of 2005), the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Private Security Agencies Rules, 2009, namely :—

1. These rules may be called the Haryana Private Security Agencies (Amendment) Rules, 2011.
2. In the Haryana Private Security Agencies Rules, 2009, in sub-rule (1) of Rule 3, for the words and sings “Additional Director General of Police, Law and Order, Haryana Police”, the words and sings “Joint Secretary/Special Secretary, Home Department” shall be substituted.

SAMIR MATHUR,

Financial Commissioner and Principal Secretary to
Government Haryana, Home Department.

हरियाणा सरकार

गृह विभाग

अधिसूचना

दिनांक 30 मई, 2011

संख्या का०आ० 44/के०अ० 29/2005/धा० 25/2011.—प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण (विनिकरण) अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम 29), की धारा 25 की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण नियम, 2009 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. ये नियम हरियाणा प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण (संशोधन) नियम, 2011, कहे जा सकते हैं।
2. हरियाणा प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण नियम, 2009 में, नियम 3 के उपनियम (1) में, “अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, कानून तथा व्यवस्था, हरियाणा पुलिस” शब्दों तथा चिह्नों के स्थान पर “संयुक्त सचिव/विशेष सचिव, गृह विभाग” शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

समीर माथुर,

वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव,

हरियाणा सरकार, गृह विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT**HOME DEPARTMENT****Notification**

The 30th May, 2011

No. S.O. 44/C.A. 29/2005/S. 25/2011.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with Sub-section (2) of section 25 of the Private Security Agencies (Regulation) Act, 2005 (Central Act 29 of 2005), the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Private Security Agencies Rules, 2009, namely :—

1. These rules may be called the Haryana Private Security Agencies (Amendment) Rules, 2011.
2. In the Haryana Private Security Agencies Rules, 2009, in sub-rule (1) of Rule 3, for the words and sings “Additional Director General of Police, Law and Order, Haryana Police”, the words and sings “Joint Secretary/Special Secretary, Home Department” shall be substituted.

SAMIR MATHUR,

Financial Commissioner and Principal Secretary to
Government Haryana, Home Department.